

21/7/24

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)  
दायर दिनांक  
18.06.2024

निर्णय दिनांक  
03.07.2024

प्रकरण संख्या  
304/2024

उन्वान

1. पीरु पुत्र अलादीन चुडीगर उम्र वयस्क निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. सलीम पुत्र अलादीन चुडीगर उम्र वयस्क निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कुतुबीन पिता कासम बिसायती निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
2. जमनानाथ पिता खेमनाथ निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
3. धन्नालाल पिता नन्दराम सुनार निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
4. किशनलाल पिता शम्भुलाल धोबी निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता भंवर लाल धोबी निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
6. कैलाश पिता गुला चमार निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
7. हीरा पिता उंदा बलाई निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
8. कमला पत्नि मदनलाल खटीक निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
9. अयुब पिता ईस्माईल मुसलमान निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
10. शोकत पिता रहीमबक्ष निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
11. हीरा पिता बरदानाथ निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
12. कानानाथ पिता बरदा नाथ निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
13. देबी पिता कजोडनाथ निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
14. भगवती पिता मोहननाथ निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
15. कालूनाथ पिता मोहननाथ निवासी बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी दिनेश जैन

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बडलियास प0ह0 बडलियास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 477 की अभिलिखित आराजियात 477, 13/1, 66, 67, 69, कुल किता 05 कुल रकबा 3.7161 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण

**उपखण्ड अधिकारी**  
भीलवाड़ा


की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है। इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई।

हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा बडलियास प०ह० बडलियास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 477 की अभिलिखित आराजियात 477, 13/1, 66, 67, 69, कुल कित्ता 05 कुल रकबा 3.7161 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)  
उपरवण्ड अधिकारी  
भीलवाडा